

फर्द अहकाम

प्रार्थी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर
मागी लाल

किस्म मुकदमा

कार्थना पत्र

विपक्षी

नानुडी

पत्रावली संख्या

3/202

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

9.12.24

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी गण नामिल शेष हो प्रार्थी अधिवक्ता को आवाज लगावई गई बावजूद इसके उपस्थित नहीं होने से जाहिर है कि वे अपने प्रकरण के प्रति जागरूक नहीं हैं तथा मूल वाद अदम हाजरी - अदम पेशी में खरिज हो चुका है जिले से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहनी है।

अतः कार्थना पत्र आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी - अदम पेशी में खरिज किया जाता है। निर्णय ले- इजलास दुबाया गया प्रकरण फौजल शुभार होकर नजर से कम हो।



(रियासवी)
IAS